ISSN: 2395-7852

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management

Volume 10, Issue 2, March 2023

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 6.551

+91 9940572462 +91 9940572462 ijarasem@gmail.com www.ijarasem.com

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551| Peer Reviewed & Referred Journal |

| Volume 10, Issue 2, March 2023 |

महिला सशक्तिकरण: स्वरूप, चुनौतियाँ एवं आवश्यकता

Dr. Deepika Sharma

NET, Ph.D. , Subject-Political Science, Alwar, Rajasthan, Jaipur, India

सार

महिला सशक्तीकरण से जुड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और कानूनी मुद्दों पर संवेदनशीलता और सरोकार व्यक्त किया जाता है।[1] सशक्तीकरण की प्रक्रिया में समाज को पारंपरिक पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के प्रति जागरूक किया जाता है, जिसने महिलाओं की स्थिति को सदैव कमतर माना है। वैश्विक स्तर पर नारीवादी आंदोलनों और यूएनडीपी आदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने महिलाओं के सामाजिक समता, स्वतंत्रता और न्याय के राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।[2] महिला सशक्तीकरण, भौतिक या आध्यात्मिक, शारिरिक या मानसिक, सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है।[3] महिला सशक्तीकरण को बेहद आसान शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है कि इससे महिलाएं शक्तिशाली बनती है जिससे वह अपने जीवन से जुड़े सभी फैसले स्वयं ले सकती है और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती है। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तीकरण है। इसमें ऐसी ताकत है कि वह समाज और देश में बहुत कुछ बदल सके।

परिचय

भारत की आधी आबादी महिलाओं की है और विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर महिला श्रम में योगदान दे तो भारत की विकास दर दहाई की संख्या में होगी। फिर भी यह दुर्भाग्य की बात है कि सिर्फ कुछ लोग महिला रोजगार के बारे में बात करते हैं जबकि अधिकतर लोगों को युवाओं के बेरोजगार होने की ज्यादा चिंता है। हाल ही में प्रधानमंत्री की 'आर्थिक सलाहकार परिषद' की पहली बैठक में 10 ऐसे प्रमुख क्षेत्रों की चिह्नित किया गया जहां ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दुर्भाग्य की बात यह है कि महिलाओं का श्रम जनसंख्या में योगदान तेजी से कम हुआ है। यह लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन फिर महिला रोजगार को अलग श्रेणी में नहीं रखा गया है नेशनल सैंपल सर्वे (68 वां राउंड) के अनुसार 2011-12 में महिला सहभागिता दर 25.51% थी जो कि ग्रामीण क्षेत्र में 24.8% और शहरी क्षेत्र में मात्र 14.7% थी। जब रोजगार की कमी है तो आप महिलाओं के लिए पुरुषों के समान कार्य अवसरों की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? एक पुरुष ज्यादा समय तक काम कर सकता है उसे मातृत्व अवकाश की जरूरत नहीं होती है और कहीं भी यात्रा करना उसके लिए आसान होता है निर्माण कार्यों में महिलाओं के लिए पालना घर या शिशुओं के लिए पालन की सुविधा मुहैया कराना जरूरी होता है।[1]

ऐसे कई कारण हैं जिनसे भारत की महिला श्रमिक सहभागिता दर्ज में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट आई है और यह दर दक्षिण एशिया में पाकिस्तान के बाद सबसे कम है। नेपाल , भूटान और बांग्लादेश में जनसंख्या के अनुपात के अनुसार महिला रोजगार ज्यादा है। इन क्षेत्रों के पुरुष काम करने के लिए भारत आते हैं और उनके पीछे महिलाएं अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए खेतों में काम करती है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) मैं महिलाएं मात्र 17% का योगदान दे रही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार क्रिसटीन लगार्डे का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं अगर श्रम में भागीदारी करे तो भारत की GDP 27% तक बढ़ सकती है।[2]

प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक महिला की स्थिति-सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से समान नहीं रही है। महिलाओं के हालातों में कई बार बदलाव हुए हैं। प्राचीन भारत में महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा प्राप्त था; शुरुआती वैदिक काल में वे बहुत ही शिक्षित थी। हमारे प्राचीन ग्रंथों में मैत्रयी जैसी महिला संतों के उदहारण भी हैं।सभी प्रकार की भेदभावपूर्ण प्रथाएँ बाल विवाह, देवदासी प्रणाली, नगर वधु, सती प्रथा आदि से शुरू हुई हैं। [3]महिलाओं के सामाजिक-राजनीतिक अधिकारों को कम कर दिया गया और इससे वे परिवार के पुरुष सदस्यों पर पूरी तरह से निर्भर हो गई। शिक्षा के अधिकार, काम करने के अधिकार और खुद के लिए फैसला करने के अधिकार उनसे छीन लिए गए। मध्ययुगीन काल के दौरान भारत में मुस्लिम शासकों के आगमन के साथ महिलाओं की हालत और भी खराब हुई। ब्रिटिश काल के दौरान भी कुछ ऐसा ही था लेकिन ब्रिटिश शासन अपने साथ पश्चिमी विचार भी देश में लेकर आया।जा राम मोहन रॉय जैसे कुछ प्रबुद्ध भारतीयों ने महिलाओं के खिलाफ प्रचलित भेदभाव संबंधी प्रथाओं पर सवाल खड़ा किया। अपने निरंतर

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551| Peer Reviewed & Referred Journal |

| Volume 10, Issue 2, March 2023 |

प्रयासों के माध्यम से ब्रिटिशों को सती-प्रथा को समाप्त करने के लिए मजबूर किया गया। इसी तरह ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, आचार्य विनोबा भावे आदि जैसे कई अन्य सामाजिक सुधारक ने भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया।[4] उदाहरण के लिए 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम विधवाओं की शर्तों में सुधार ईश्वर चंद्र विद्यासागर के आंदोलन का परिणाम था।स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष के लगभग सभी नेताओं का मानना था कि स्वतंत्र भारत में महिलाओं को समान दर्जा दिया जाना चाहिए और सभी प्रकार की भेदभावपूर्ण प्रथाओं को रोका जाना चाहिए और ऐसा होने के लिए भारत के संविधान में ऐसे प्रावधानों को शामिल करना सबसे उपयुक्त माना जाता था जो पुरानी शोषण प्रथाओं और परंपराओं को दूर करने में सहायता करेगा और ऐसे प्रावधान भी करेगा जो महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करेंगे।[5]

भारत का संविधान दुनिया में सबसे अच्छा समानता प्रदान करने वाले दस्तावेजों में से एक है। यह विशेष रूप से लिंग समानता को सुरक्षित करने के प्रावधान प्रदान करता है। संविधान के विभिन्न लेख सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से महिलाओं के पुरुषों के समान अधिकारों की रक्षा करते हैं।महिलाओं के मानवाधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी और अन्य संवैधानिक प्रावधान कई तरह के विशेष सुरक्षा उपाय प्रदान करते हैं।प्रस्तावना :- भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आश्वासन देती है। इसके अलावा यह व्यक्ति की स्थिति, बराबरी के अवसर और गरिमा की समानता भी प्रदान करती है। इस प्रकार संविधान की प्रस्तावना के अनुसार पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान माना जाता है।मौलिक अधिकार :- हमारे संविधान में निहित मूलभूत अधिकारों में महिला सशक्तिकरण की नीति अच्छी तरह से विकसित हुई है।[6]

- अनुच्छेद 14 महिलाओं को समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है।
- अनुच्छेद 15 (1) विशेष रूप से लिंग के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है।
- अनुच्छेद 15 (3) राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई करने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 16 किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता प्रदान करता है।[7]

ये अधिकार मौलिक अधिकार अदालत में न्यायसंगत हैं और सरकार उसी का पालन करने के लिए बाध्य है।यहां कुछ विशिष्ट कानूनों की सूची दी गई है जो संसद द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के संवैधानिक दायित्व को पूरा करने के लिए लागू की गई थी:

- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
- दहेज निषेध अधिनियम, 1961
- अनैतिक यातायात (रोकथाम) अधिनियम, 1956
- मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
- गर्भावस्था अधिनियम का अंत, 1971
- सती आयोग (रोकथाम) अधिनियम, 1987
- बाल विवाह अधिनियम, 2006 का निषेध
- प्री-कॉन्सेशेशन एंड प्री-नेटाल डायग्नॉस्टिक टेक्निक्स (विनियमन और निवारण) अधिनियम, 1994
- कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न (रोकथाम और संरक्षण) अधिनियम, 2013[8]

उपर्युक्त और कई अन्य कानून हैं जो न केवल महिलाओं को विशिष्ट कानूनी अधिकार प्रदान करते हैं बल्कि उन्हें सुरक्षा और सशक्तिकरण की भावना भी प्रदान करते है। भारत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संधियों से जुड़ा हुआ है जो महिलाओं के समान अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।1993 में भारत द्वारा अनुमोदित महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन (सीडीएडब्ल्यू) पर सम्मेलन।मैक्सिको प्लान ऑफ एक्शन (1975), नैरोबी फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रैटजीज (1985), बीजिंग घोषणापत्र और प्लैटफॉर्म फ़ॉर एक्शन (1995) तथा यूएनजीए सत्र द्वारा अपनाया गया परिणाम दस्तावेज, 21वीं शताब्दी के लिए लैंगिक समानता, विकास, शांति और आगे की कार्रवाइयों को लागू करने के लिए "बीजिंग घोषणापत्र"। इन सभी को भारत के द्वारा उचित अनुवर्ती कार्रवाई के लिए पूर्ण रूप से समर्थन दिया गया है। इन सभी विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं, कानूनों और नीतियों के बावजूद महिलाओं की स्थिति में अभी भी संतोषजनक रूप से सुधार नहीं हुआ है। महिलाओं से संबंधित विभिन्न समस्याएं अभी भी समाज में मौजूद हैं। महिलाओं का शोषण बढ़ रहा है, दहेज-प्रथा अभी भी प्रचलित है, महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा का अभ्यास किया जाता है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और महिलाओं के खिलाफ अन्य जघन्य यौन अपराध बढ़ रहे हैं।[9]

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551| Peer Reviewed & Referred Journal |

| Volume 10, Issue 2, March 2023 |

विचार-विमर्श

- समान वेतन का अधिकार - समान पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार अगर बात वेतन या मजदूरी की हो तो लिंग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता |[10]

- कार्य-स्थल में उत्पीड़न के खिलाफ कानून - यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत आपको वर्किंग प्लेस पर हुए यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का पूरा हक है। केंद्र सरकार ने भी महिला कर्मचारियों के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिसके तहत वर्किंग प्लेस पर यौन शोषण के शिकायत दर्ज होने पर महिलाओं को जांच लंबित रहने तक 90 दिन का पैड लीव दी जाएगी।

- कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार - भारत के हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह एक महिला को उसके मूल अधिकार 'जीने के अधिकार' का अनुभव करने दें। गर्भाधान और प्रसव से पूर्व पहचान करने की तकनीक लिंग चयन पर रोक अधिनियम (PCPNDT) कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार देता है।[11]

- संपत्ति पर अधिकार - हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत नए नियमों के आधार पर पुश्तैनी संपत्ति पर महिला और पुरुष दोनों का बराबर हक है।

- गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार - किसी मामले में अगर आरोपी एक महिला है तो उस पर की जाने वाली कोई भी चिकित्सा जांच प्रक्रिया किसी महिला द्वारा या किसी दूसरी महिला की उपस्थिति में ही की जानी चाहिए।
- महिला सशक्तीकरण - महिलाओं का पारिवारिक बंधनों से मुक्त होकर अपने और अपने देश के बारे में सोचने की क्षमता का विकास होना ही महिला सशक्तीकरण कहलाता है
- महिला श्रेष्ठता - समाज में महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए क्योंकि आज के समय में महिला हर क्षेत्र में आगे है चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर खेल के क्षेत्र में[12]

महिलाओं का जो भी सुधार और सशक्तिकरण हुआ है वह विशेष रूप से उनके अपने स्वयं के प्रयासों और संघर्ष के कारण हुआ है हालांकि उनके प्रयासों में उनकी सहायता करने के लिए सरकारी योजनाएं भी हैं। 2001 में भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए एक राष्ट्रीय नीति का शुभारंभ किया। नीति के विशिष्ट उद्देश्य निम्न है :-

- महिलाओं के पूर्ण विकास हेतु सकारात्मक आर्थिक और सामाजिक नीतियों के माध्यम से एक पर्यावरण का सृजन करने के लिए उन्हें अपनी पूरी क्षमता का पता लगाना।
- सभी राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नागरिक क्षेत्रों में पुरुषों के समान आधार पर महिलाओं द्वारा सभी मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता के आनंद के लिए पर्यावरण का निर्माण करना।
- राष्ट्र के सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी और निर्णय लेने के लिए समान पहुंच प्रदान करना।
- स्वास्थ्य देखभाल, सभी स्तरों पर गुणवत्ता की शिक्षा, करियर और व्यावसायिक मार्गदर्शन, रोजगार, समान पारिश्रमिक, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक जीवन आदि के लिए महिलाओं को समान अवसर प्रदान करना।
- महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से कानूनी प्रणाली को सुदृढ़ बनाना।[13]
- सक्रिय भागीदारी और पुरुषों और महिलाओं दोनों की भागीदारी द्वारा सामाजिक व्यवहार और समुदाय प्रथाओं को बदलना।
- विकास प्रक्रिया में लिंग के परिप्रेक्ष्य में मुख्यधारा।
- भेदभाव, महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा के सभी प्रकार का उन्मूलन।
- सिविल सोसाइटी विशेष रूप से महिला संगठनों के साथ साझेदारी का निर्माण और मजबूत करना।

महिला और बाल विकास मंत्रालय महिलाओं के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण से संबंधित सभी मामलों के लिए नोडल एजेंसी है।मंत्रालय की विभिन्न योजनायें जैसे स्वशक्ति, स्वंयसिद्ध, स्टेप और स्वावलंबन आदि आर्थिक सशक्तिकरण करने में सक्षम हैं।[14]

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551| Peer Reviewed & Referred Journal |

| Volume 10, Issue 2, March 2023 |

पिछले कुछ सालो में देश में महिलाओ की स्थिति में अचानक ही काफी बदलाव आया है, Mahila Sashaktikaran पर ख़ास जोर दिया गया है, तो आइये शुरू से महिलाओ की उपलब्धियों पर एक नजर डालते है :

1. 1848 : सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर भारत के पुणे में महिलाओ के लिये स्कूल खोली. इस प्रकार सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी.
2. 1898 : भगिनी निवेदिता ने महिला स्कूल की स्थापना की.
3. 1916 : 2 जून 1916 को पहली महिला यूनिवर्सिटी SNDT महिला यूनिवर्सिटी की स्थापना सामाजिक समाज सुधारक धोंडो केशव कर्वे ने सिर्फ पांच विद्यार्थियों के साथ मिलकर की.
4. 1917 : भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस की एनी बेसेन्ट पहली महिला अध्यक्षा बनी.
5. 1925 : सरोजिनी नायडू भारत में जन्मी, भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस की पहली अध्यक्षा बनी.
6. 1927 : आल इंडिया विमेंस कांफ्रेंस (All India Women's Conference) की स्थापना की गयी.
7. 1947 : 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के बाद सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला गवर्नर बनी.
8. 1951 : डेक्कन एयरवेज की प्रेम माथुर भारत की पहली कमर्शियल महिला पायलट बनी.
9. 1953 : विजया लक्ष्मी पंडित यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की भारत की पहली महिला अध्यक्षा बनी.
10. 1959 : अन्ना चंडी हाई कोर्ट (केरला हाई कोर्ट) ,भारत की पहली महिला जज बनी.
11. 1963 : उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री और किसी भी भारतीय राज्य में इस पद पर रहने वाली सुचेता कृपलानी पहली महिला थी.
12. 1966 : कमलादेवी चट्टोपाध्याय को कम्युनिटी लीडरशिप के लिये रोमन मेग्सय्सय अवार्ड से सम्मानित किया गया.
13. 1966 : इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी.
14. 1970 : कमलजीत संधू एशियाई खेलो में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी.
15. 1972 : भारतीय पुलिस दल मे शामिल होने वाली किरन बेदी पहली महिला बनी.
16. 1979 : मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, इसे हासिल करने वाली वह पहली भारतीय महिला नागरिक है.
17. 1984 : 23 मई को बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने पहली भारतीय महिला बनी.
18. 1986 : सुरेखा यादव भारत और एशिया की पहली महिला लोको-पायलट, रेलवे ड्राईवर बनी.
19. 1989 : न्यायमूर्ति एम्. फातिमा बीवी भारतीय सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी.
20. 1992 : प्रिया झिंगन इंडियन आर्मी में शामिल होने वाली पहली महिला कैडेट बनी.
21. 1999 31 अक्टूबर को सोनिया गाँधी भारतीय विपक्षी दल की पहली महिला नेता बनी.
22. 2007 : 25 जुलाई को प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी.

हम खुद को आधुनिक कहने लगे हैं, लेकिन सच यह है कि मॉर्डनाइज़ेशन सिर्फ हमारे पहनावे में आया है लेकिन विचारों से हमारा समाज आज भी पिछड़ा हुआ है। आज महिलाएं एक कुशल गृहणी से लेकर एक सफल व्यावसायी की भूमिका बेहतर तरीके से निभा रही हैं। नई पीढ़ी की महिलाएं तो स्वयं को पुरुषों से बेहतर साबित करने का एक भी मौका गंवाना नहीं चाहती। लेकिन गांव और शहर की इस दूरी को मिटाना जरूरी है।हमें महिलाओं की समस्याओं के बारे में समाज के पुरुष सदस्यों को शिक्षित और संवेदित करना है और उनके बीच एकजुटता और समानता की भावना पैदा करने की आवश्यकता है ताकि वे अपने भेदभावपूर्ण व्यवहारों को कमजोर वर्ग की ओर रोक दें। सबसे पहले हमारे घरों से सभी प्रयास शुरू होने चाहिए जहां हमें किसी भी भेदभाव के बिना शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और निर्णय लेने के

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551| Peer Reviewed & Referred Journal |

| Volume 10, Issue 2, March 2023 |

समान अवसर प्रदान करके हमारे परिवार के महिला सदस्यों को सशक्त करना चाहिए।भारत शक्तिशाली राष्ट्र तभी बन सकता है जब यह वास्तव में अपनी महिलाओं को शक्ति देता है।[15]

परिणाम

जितने भी शारीरिक प्रकटीकरण हैं, वह सब दो ध्रुवों के बीच होते हैं - सकारात्मक-नकारात्मक, पुरुषत्व-नारीत्व, शिव-शक्ति, स्त्री-पुरुष। अगर आप केवल पुरुष तत्व को ही पोषित करेंगे तो आप में मर्दानेपन की मूर्खता अभिव्यक्त होगी। इसी तरह से अगर आप केवल स्त्रीसुलभता को ही पोषित करेंगे तो आपमें हद से ज्यादा कलात्मकता और भावनाओं की अभिव्यक्ति होगी।[13]
जैसे ही हम दो ध्रुवों के बीच भेद पैदा करते हैं, वैसे ही उन दोनों के बीच हमारी समझ के अनुसार श्रेष्ठता और निम्नता की धारणाएँ बनाने लगते हैं। इन धारणाओं से भ्रम, भद्देपन व शोषण के कई स्तर पैदा हुए हैं। शारीरिक रूप से स्त्री या पुरुष होना बस स्त्रीत्व या पुरुषत्व की एक ज्यादा ठोस अभिव्यक्ति है। अगर आप यहां स्त्री के रूप में बैठी हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके भीतर आपके पिता मौजूद नहीं हैं और यही बात पुरुषों पर भी लागू होती है कि उनमें उनकी मां मौजूद होती हैं।[14]

अगर आप इस सत्य को पहचान कर अपने भीतर मौजूद स्त्री व पुरुष दोनों ही तत्वों को इस तरह से पोषित करेंगे कि दोनों ही समान स्तर पर रहें तो आप एक संतुलित इंसान होंगे। अगर आप केवल पुरुष तत्व को ही पोषित करेंगे तो आप में मर्दानेपन की मूर्खता अभिव्यक्त होगी। इसी तरह से अगर आप केवल स्त्रीसुलभता को ही पोषित करेंगे तो आपमें हद से ज्यादा कलात्मकता और भावनाओं की अभिव्यक्ति होगी।कई तरह से एक महिला संपूर्ण मानव जाति का एक फूल है। बिना जड़ के कोई पौधा या पेड़ नहीं होता, लेकिन बिना फूल के जीवन में परिपूर्णता नहीं होती।अगर हम बस इसी नजरिए से हर चीज़ को देखेंगे कि क्या उपयोगी है और क्या नहीं तो हमें तमाम फूलों से निजात पानी होगी और सब्जी उगानी होगी।हमें एक ऐसे समाज के निमार्ण की जरूरत है, जहां जीवन के स्त्रीसुलभ पक्ष जैसे संगीत, कला व सौंदर्यबोध भी उसी तरह से महत्वपूर्ण हों, जैसे अर्थषास्त्र, विज्ञान व तकनीक। आज के दौर में महिलाएं बुरी तरह से पुरुष जैसा बनने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि पुरुष की तरह बनने से ही सफलता या कामयाबी साबित होती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवनों में सुंदरता हो तो समाज में नारी सुलभता या स्त्रीत्व को उसका उचित स्थान मिलना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि खूबसूरती और उपयोगिता दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अगर हम बस इसी नजरिए से हर चीज़ को देखेंगे कि क्या उपयोगी है और क्या नहीं तो हमें तमाम फूलों से निजात पानी होगी और सब्जी उगानी होगी। अगर हमारे जीवन में खूबसूरती और सौंदर्यबोध नहीं होगा तो जीवन निरर्थक हो जाएगा। पारंपरिक तौर पर भारतीय संस्कृति में स्त्री तत्व को अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम उतना तो महत्वपूर्ण माना ही जाता रहा है, जितना पुरुष तत्व को।[15]

अफसोस की बात है कि चंचलता और मनमौजी होना नारी सुलभता या स्त्रीत्व माना जाता है। इसमें कोई गहराई और गहन सुंदरता नहीं है।लेकिन हमारे यहां लगातार हुए हमलों के चलते पिछली कुछ सदियों में समाज के हालात बदलते गए। उन हमलावरों ने सबसे पहले जिन पर हाथ डाला, वो आपकी पत्नी और बेटियाँ थीं। तो सुरक्षा कारणों से हमने उन्हें घर के भीतर तक ही सीमित रखना शुरू कर दिया। जो कदम सुरक्षा के नजरिए से उठाया गया था, वो कुछ समय बाद एक स्थापित चलन बन गया। आज भारत एक आजाद देश है, अब समय आ गया है कि हम इस पहलू पर पुनर्विचार करें। इसका यह मतलब नहीं कि हम पश्चिम की नकल करते हुए या तो जहां तक संभव हो औरतों को मर्दाना बना दें या फिर उन्हें बार्बी डॉल बनाकर रखें। अफसोस की बात है कि चंचलता और मनमौजी होना नारी सुलभता या स्त्रीत्व माना जाता है। इसमें कोई गहराई और गहन सुंदरता नहीं है।[5]

स्त्रीत्व के बिना डिप्रेशन के मामले बढ़ेंगे-समाज में स्त्री तत्व व पुरुष तत्व को बराबर अनुपात में रखना सबसे महत्वपूर्ण है।अगर आपमें नारी सुलभता या स्त्रीत्व सक्रिय है, तो वह गुण छोटी-छोटी चीजों में खूबसूरती ढूंढने का जरिया पा लेता है।जो जड़ या पौधा स्वाभाविक तौर से नहीं फलता, वह कुम्हला जाता है। अगर स्त्री तत्व को स्वाभाविक अभिव्यक्ति नहीं मिलेगी तो वह अवसाद या कुंठा की ओर बढ़ने लगता है। एक पूरी तरह से मर्दानगी भरा दिमाग स्याह, दूषित और कुंठित या डिप्रेस्ड हो उठता है। यही चीज आज आपको दुनिया, खासकर पश्चिम में दिखाई दे रही है, लेकिन इसकी शुरुआत भारत में भी हो चुकी है, अब यहां भी निराशा की खासी प्रबलता पाई जा रही है। अगर आपमें नारी सुलभता या स्त्रीत्व सक्रिय है, तो वह गुण छोटी-छोटी चीजों में खूबसूरती ढूंढने का जरिया पा लेता है। लेकिन इससे उलट अगर आपने अपने भीतर से स्त्रीत्व को पूरी तरह से खत्म कर दिया है तो आपको बाहर की हर चीज आदर्श या उत्तम लगेगी, लेकिन यह आपके लिए कारगर नहीं होगी।[6]

किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित, महिलाओं को पारिवारिक सहायता नहीं मिलती है तो जीवन यापन करने के सभी रास्ते बंद हो जाते है एवं ऐसी कठिन परिस्थितियों के लिए परिवार एवं समाज में पुर्नस्थापित होने हेतु विशेष सहयोग की आवश्यकता होती है । यदि किसी भी

पीड़ित महिला की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ दिया जाए तो वह स्वयं के साथ-साथ अपने परिवार का भी भरण पोषण कर सकती है। इस उद्देश्य से "मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना" प्रदेश में सितम्बर 2013 से प्रारंभ की गई है।[7]

उद्देश्य:-

- आपात स्थिति में महिलाओं की सहायता करना।
- पीडित महिला को पुर्नस्थापित करना।
- महिलाओं को स्व-रोजगार के लिये प्रेरित करना।
- महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना।
- महिला का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिणिक स्तर बढाना।
- विपत्तिग्रस्त/पीड़ित/असहाय/निराश्रित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए समाज की मुख्य धारा में पुर्नस्थापित करना।[8]

लक्ष्य समूह :-

- बलात्कार से पीडित महिला या बालिका ।
- दुर्रव्यापार से बचाई गई महिलाएं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करती हो।
- ऐसिड विक्टिम
- जेल से रिहा महिलाऐं
- परित्यकता/तलाकशुदा महिलायें जो गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करती हो।
- शासकीय एवं अशासकीय आश्रय गृह, बालिका गृह, अनुरक्षण गृह आदि गृहों में निवासरत विपत्तिग्रस्त बालिका/महिलायें
- दहेज प्रताड़ित/अग्नि पीड़ित महिलायें
- बाल विवाह पीड़ित

प्रशिक्षण के विषय :-

- फार्मेसी -ब्यूटिशियन,होटल/ ईवेन्ट मैनेजमेंट
- नर्सिग -शार्ट टर्म मैनेजमेंट कोर्स (कुकिंग/बैंकिंग),प्रयोगशाला सहायक
- फिजियोथेरपी -आई.टी.आई./पॉलीटेक्निक कोर्स,बी.एड/डी.एड

सिर्फ शासकीय संस्थान से :-

- आया/दाई/वार्ड परिचारिका होस्पिटालिटी,अन्य प्रशिक्षण जो कि शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाते है।[9]

निष्कर्ष

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।
अर्थ : जहां स्त्रीजाति का आदर-सम्मान होता है, उनकी अपेक्षाओं की पूर्ति होती है, उस परिवार तथा समाज पर देवतागण प्रसन्न रहते हैं। जहां ऐसा नहीं होता और उनके प्रति उचित व्यवहार नहीं किया जाता है, वहां देवकृपा नहीं रहती है और वहां किये गये कार्य सफल नहीं होते हैं।
पुराने जमाने में महिलाओं को बंधनों में बांधा जाता था, महिलाएं अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर पाती थी और उनके ऊपर पूरा का पूरा नियंत्रण उनके पति और घर के बड़े बुजुर्गों का रहता था. इससे महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाती थी और राष्ट्र का निर्माण में इनकी

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551| Peer Reviewed & Referred Journal |

| Volume 10, Issue 2, March 2023 |

की भूमिका नहीं रहती थी, उनका दायरा महज घर की रसोई तक सीमित रहता था। लेकिन आज अगर हम राष्ट्र का चौमुखी विकास चाहते हैं तो महिलाओं को अधिकार देना बहुत आवश्यक है. तो आज हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण की।[10]

महिला सशक्तिकरण पर बात जारी रखने के लिए पहले हम महिला सशक्तिकरण शब्द का अर्थ समझ लेते हैं. महिला सशक्तिकरण का मतलब होता है महिलाओं का पारिवारिक बंधनों से मुक्त होकर अपने और अपने देश के विषय में सोचने की क्षमता का विकास। अर्थात महिला सशक्तिकरण से हम ये से समझते है कि महिलाएं अपने निर्णयो के लिए किसी अन्य पर निर्भर ना हो और वह अपने जीवन के विषय में खुद निर्णय ले सकें।

महिला सशक्तीकरण कोई नई अवधारणा नहीं है और इसकी आवश्यकता आजादी से पहले भी बहुत पहले समझी गई थी। केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में महिलाओं ने अत्याचारों का सामना किया है।अभी भी भारत के कई हिस्सों के समाज में महिलाओं को उचित अधिकार प्राप्त नहीं है उन्हें पुरुषों से कमतर समझा जाता है इसीलिए हमें जरूरत है महिला सशक्तिकरण की।[11]

- महिला सशक्तिकरण के बिना अन्याय, लैंगिक पक्षपात और असमानता को दूर नहीं किया जा सकता है।
- यदि महिलाएं सशक्त नहीं हैं तो वे अपनी खुद की पहचान विकसित नहीं कर सकती हैं।
- यह उन्हें एक सुरक्षित कार्य वातावरण भी प्रदान करता है।
- महिलाएं जीवन में सुरक्षा और संरक्षण का आनंद नहीं ले सकती हैं यदि वे सशक्त नहीं हैं।
- सशक्तिकरण महिलाओं के सामने आने वाले शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है।
- यह महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।
- न्यायपूर्ण और प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए महिलाओं को काम के समान अवसर प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।[12]

भारतीय इतिहास में महिलाओं को पूजनीय माना गया है, हम भारतवासी महिलाओं को हमेशा से एक ऊंचे दर्जे का सम्मान देते थे। ग्रंथों और पुराणों में इस चीज का उल्लेख मिलता है कि भारत में हमेशा से देवताओं के साथ साथ देवियों को भी पूजा जाता है और यह परम्परा सदियों से चली आ रही है।
महिलाओं की ऋग-वैदिक काल में एक बेहतर स्थिति थी जो वैदिक सभ्यता में बिगड़ गई। वैदिक सभ्यता के बाद, महिलाओं को शिक्षा के अधिकार, विधवा पुनर्विवाह के अधिकार, विरासत के अधिकार और संपत्ति के स्वामित्व से वंचित कर दिया गया। बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयाँ महिलाओं के लिए स्थितियों को और अधिक खराब करती हैं। गुप्त काल के दौरान, महिलाओं की स्थिति बेहद खराब हो गई और दहेज और सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं अधिक प्रमुख हो गईं। ब्रिटिश राज के दौरान, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ज्योतिराव फुले जैसे कई समाज सुधारकों ने महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए आंदोलन शुरू किया और उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप सती-प्रथा को समाप्त कर दिया गया और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम तैयार किया गया। अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो आपने कभी ना कभी यह जरूर पढ़ा होगा कि भारत के विकास में महिलाओं का हमेशा से अद्वितीय योगदान रहा है। [13]

1857 की क्रांति मे लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे जिस कारण वो अभी तक याद रखी जाती हैं। जैसे किसी गाड़ी को चलने के लिए सिर्फ ईंधन की जरूरत नहीं होती, पहियों की जरूरत भी होती है उसी प्रकार है अगर हम किसी देश के विकास में गति लाना चाहते हैं तो हमें आज के समय में महिला सशक्तिकरण की विशेष आवश्यकता है। बिना महिला सशक्तिकरण के देश का विकास रफ्तार नहीं पकड़ सकता। आज भी भारत समेत दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां महिलाओं को पुरुषों से कम अधिकार प्राप्त हैं.भारतीय संविधान में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए हैं और उन्हें पुरुषों के समान दर्जा मिला है लेकिन वास्तविक जिंदगी और आंकड़े कुछ अलग कहानी बयान करते हैं। जैसे भारत में कई जगह महिलाओं की शिक्षा दसवीं तक भी नहीं हो पाती और उनकी छोटी अवस्था में ही विवाह कर दिया जाता है जिससे वह अपनी जिंदगी के निर्णय नहीं ले पाती। उनको बचपन से ही रसोई घर सौंप दिया जाता है। [14]

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551| Peer Reviewed & Referred Journal |

| Volume 10, Issue 2, March 2023 |

इसके अलावा भारत में लिंगानुपात महिलाओं की स्थिति को बयां कर देता है बहुत से लोगों की गंदी सोच की वजह से कन्या भ्रूण हत्या आज के भारत की मुख्य समस्या बनी हुई है. वे लोग चाहते ही नहीं कि उनके घर में किसी कन्या का जन्म हो और इसीलिए वह कन्या भ्रूण हत्या जैसी गंदी करतूत को अंजाम देते हैं।[15]

महिला सशक्तिकरण से लाभ -

1. वे सम्मान और स्वतंत्रता के साथ अपने जीवन का नेतृत्व करने में सक्षम होती हैं।
2. यह उन्हें अपनी खुद की एक अलग पहचान देता है।
3. यह उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को जोड़ता है।
4. वे समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करने में सक्षम हो पाती हैं।
5. वे समाज की भलाई के लिए सार्थक योगदान देने में सक्षम हो पाती हैं।
6. देश के संसाधन उनके लिए उचित और समान रूप से सुलभ होते हैं।[14]

महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं -

भारत सरकार बहुत से ऐसे अभियान चलाए हैं जिसमें महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है. ये योजनाएं कमजोर और पीढ़ित महिलाओं की आवाज उठाने में मदद कर रही हैं। उदाहरण के लिए :

1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम
2. महिला हेल्पलाइन योजना
3. सुकन्या समृद्धि योजना
4. स्वाधार गृह
5. कामकाजी महिला छात्रावास
6. महिला ई-हाट
7. महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण [15]

संदर्भ

1. "Women's Empowerment" (PDF). मूल (PDF) से 12 मई 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 28 अगस्त 2017.
2. ↑ "Women's Empowerment". मूल से 10 अगस्त 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 28 अगस्त 2017.
3. ↑ "Definition: Women Empowerment". मूल से 25 अगस्त 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 28 अगस्त 2017.
4. "Feminism | Definition, History, Types, Waves, Examples, & Facts | Britannica". www.britannica.com (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2022-11-25.
5. ↑ Gamble, Sarah (2001). "The Routledge Companion to Feminism and Postfeminism".
6. ↑ "हिंदी आलेख- अस्मिता एवं अस्मितामूलक-विमर्श की अवधारणा एवं सिद्धांत". विश्वहिंदीजन चौपाल. अभिगमन तिथि 2023-02-20.
7. ↑ Zajko, Vanda; Leonard, Miriam (2006). Laughing with Medusa: classical myth and feminist thought. Oxford: Oxford University Press. पृ॰ 445. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-0-19-927438-3.
8. ↑ Howe, Mica; Aguiar, Sarah Appleton (2001). He said, she says: an RSVP to the male text. Madison, NJ: Fairleigh Dickinson University Press. पृ॰ 292. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-0-8386-3915-3.
9. ↑ Showalter, Elaine (1979). "Towards a Feminist Poetics". प्रकाशित Jacobus, M. (संपा॰). Women Writing about Women. Croom Helm. पपृ॰ 25–36. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-0-85664-745-1.
10. ↑ E.g., Owens, Lisa Lucile (2003). "Coerced Parenthood as Family Policy: Feminism, the Moral Agency of Women, and Men's 'Right to Choose'". Alabama Civil Rights & Civil Liberties Law Review. **5**: 1. SSRN 2439294.
11. ↑ Zucker, Alyssa N. (2004). "Disavowing Social Identities: What It Means when Women Say, 'I'm Not a Feminist, but ...'". Psychology of Women Quarterly. **28** (4): 423–35. डीओआइ:10.1111/j.1471-6402.2004.00159.x.

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551| Peer Reviewed & Referred Journal |

| Volume 10, Issue 2, March 2023 |

12. ↑ Burn, Shawn Meghan; Aboud, Roger; Moyles, Carey (2000). "The Relationship Between Gender Social Identity and Support for Feminism". Sex Roles. **42** (11/12): 1081–89. डीओआइ:10.1023/A:1007044802798.
13. ↑ Renzetti, Claire M. (1987). "New wave or second stage? Attitudes of college women toward feminism". Sex Roles. **16** (5–6): 265–77. डीओआइ:10.1007/BF00289954.
14. ↑ Lingard, Bob; Douglas, Peter (1999). Men Engaging Feminisms: Pro-Feminism, Backlashes and Schooling. Buckingham, England: Open University Press. पृ॰ 192. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-0-335-19818-4.
15. ↑ Kimmel, Michael S.; Mosmiller, Thomas E. (1992). Against the Tide: Pro-Feminist Men in the United States, 1776–1990: A Documentary History. Boston: Beacon Press. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-0-8070-6767-3.

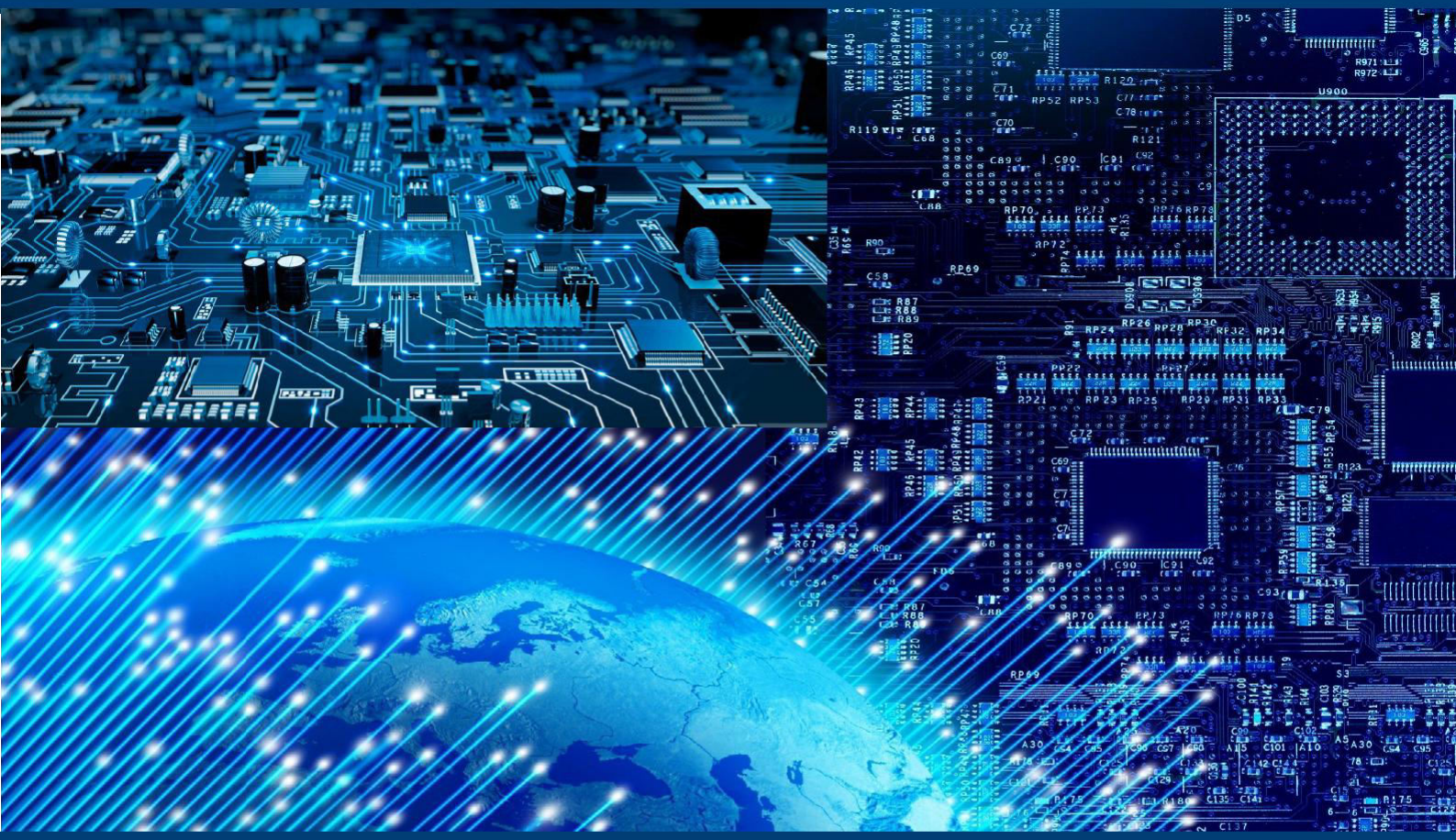

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| Mobile No: +91-9940572462 | Whatsapp: +91-9940572462 | ijarasem@gmail.com |